मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–2304363
फोन नं0–0522–2308501, 2308502, 2307093, 2307094

ईमेल–lkomdm@gmail.com
Website : www.upmdm.org

पत्रांकः म0भो0प्रा0/ किचेन शेड–35/C-3119 /2010–11 दिनांकः25 नवम्बर, 2010

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

विषयः ***मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में किचेन निर्माण के सम्बन्ध में।***

महोदय,

उपर्युक्त विषयक **शासनादेश सं0 1531/69–6–2010 दिनांकः 15 नवम्बर, 2010** के क्रम में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में चूँकि भवन/अन्य अवस्थापना सम्बन्धित सुविधाओं हेतु किसी प्रकार की वित्तीय सहायता शासन द्वारा नहीं दी जाती है। अतः योजना से आच्छादित इन विद्यालयों में किचेन निर्माण हेतु किसी प्रकार की वित्तीय सहायता दिये जाने का औचित्य नहीं है।

शिक्षा के अधिकार के अधिनियम–2009 के अनुसार मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालय, जहाँ भोजन पकाया जाता हो के भवन में किचेन होना अनिवार्य है, साथ ही उक्त **अधिनियम के अध्याय–4 की धारा–19** में उल्लिखित है कि भवन हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रेक्चर की व्यवस्था का दायित्व विद्यालय का होगा। जो विद्यालय इस अधिनियम लागू होने से पूर्व से संचालित हैं उनमें विद्यालयों को अपने श्रोतों से वांछित इन्फ्रास्ट्रेक्चर की व्यवस्था आगामी 03 वर्षों में करनी होगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि योजना से आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में किचेन का निर्माण विद्यालय के अपने श्रोतों से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(के0 राम मोहन राव)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ0प्र0।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
4. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

(के0 राम मोहन राव)
निदेशक